प्रैक्टिकल फ़ाइल के संबंध में नियम

विषय **अभिवचन व् अभिहस्तान्तरण का प्रारूपण (K-५००५)** की प्रैक्टिकल फ़ाइल के संबंध में छात्रों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल फ़ाइल को इसके साथ प्रदान की गई सामग्री (सूचकांक) और निर्देश की सूची के अनुसार सख्ती से तैयार किया जाना है।

फ़ाइल तैयार करने के नियम एवं निर्देश:

- फाइल प्रत्येक छात्र को **केवल अपनी लिखावट** में ही तैयार करनी होगी।
- आपके तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में फ़ाइल **में ४०अंक होंगे और वाइवा में १० अंक (कुल ५०)** होंगे।
- फ़ाइल **A4 आकार के कागज पर (केवल एक तरफा)** बिना बॉर्डर के उचित दूरी के साथ तैयार की जाएगी, लेकिन मार्जिन कागज के बाईं ओर (१.0") और दाईं ओर (0. ५") पर सेट किया जाएगा। कागज़ सादा होना चाहिए (लाइनों या ड्राइंग पेपर वाले पृष्ठों की अनुमति नहीं है)
- पृष्ठ के पीछे की ओर कोई लेखन नहीं होगा।
- छात्र प्रैक्टिकल फाइल लिखने के लिए केवल काले एवं नीले रंग के बॉल पेन का उपयोग करेंगे।
- कवर पेज चमकदार कागज पर रंगीन मुद्रित किया जाएगा।
- पूरी फाइल २९ अक्टूबर २०२३ तक निरीक्षण और जांच के लिए विषय शिक्षक को बिना किसी स्पाइरल के प्रस्तुत की जाएगी। किसी भी कारण से उपरोक्त तिथि के बाद किसी भी फाइल का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- छात्रों को उपरोक्त उल्लिखित तिथि पर या उससे पहले पूरी फाइल जमा करने का सुझाव दिया जाता है। जांच के बाद सुधार की अनुमति दी जा सकती है लेकिन किसी को भी लंबित या शेष कार्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो पहली प्रस्तुति के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जो छात्र- छात्राएं उपर्युक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहेंगे वे आगे के परिणामों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

मॉडर्न कॉलेज ऑफ लॉ, गाजियाबाद

(चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध और भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुमोदित)

अभिवचन व् अभिहस्तान्तरण का प्रारूपण

एलएल.बी. की एक प्रैक्टिकल फाइल

पंचम सेमेस्टर

(के-५००५)

सत्र (२०२३-२४)

नाम ....

श्री मोहित नरवाल
सहायक प्रोफेसर
एमसीएल, सीसीएसयू मेरठ
को प्रस्तुत किया गया

पिता का नाम.........................
अनुक्रमांक संख्या ....
नामांकन संख्या.........................
के द्वारा प्रस्तुत किया गया

टिप्पणी..।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

अभिस्वीकृति

मैं अपने विषय के संकाय प्रभारी श्री मोहित नरवाल और हमारे विभागाध्यक्ष श्री अंकुर गुप्ता और प्रिंसिपल डॉ. निशा सिंह को विशेष धन्यवाद देना चाहता/चाहती हूं जिन्होंने मुझे यह अद्भुत काम करने का सुनहरा अवसर दिया। अपनी प्रैक्टिकल फाइल को निष्पादित करने में, मैं विभिन्न तरीकों से मेरी मदद करने के लिए सभी संकाय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता/चाहती हूं। मैं उन सभी के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता/चाहती हूं जिन्होंने प्रैक्टिकल फ़ाइल लिखने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं सहपाठियों और टीम के सदस्यों के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता/करती हूं जिन्होंने बहुमूल्य टिप्पणियाँ और सुझाव दिए जिससे मुझे अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल को बेहतर बनाने में मदद मिली।

तिथि *हस्ताक्षर*

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	संबंधित शिक्षक का चिन्ह
	भाग-अ (सिविल विधि)		
१)	1. अभिवचन को परिभाषित करें और अभिवचन के मौलिक नियम लिखें। 2. मुजरा और प्रतिदावा के बीच अंतर पर चर्चा करें।		
२)	1. क्रूरता के आधार पर पति के विरुद्ध विवाह-विच्छेद हेतु शपथपत्र के साथ एक याचिका का मसौदा तैयार करें। 2. शपथ पत्र के साथ पति की ओर से उपरोक्त याचिका के लिखित कथन का मसौदा तैयार करें।		
३)	1. वाद-पत्र में संशोधन के आवेदन का मसौदा तैयार करें। 2. प्रतिवादी से धन की वसूली के लिए मुकदमे में विधिक उत्तराधिकारी जोड़ने के लिए वादी की और से एक आवेदन का मसौदा तैयार करें।		
४)	1. 60,000 रुपये के बकाया किराए और किरायेदार को निकालने के लिए एक मुकदमे का मसौदा तैयार करें, जबकि किराया 20,000 रुपये प्रति माह है।		
५)	1. भारतीय संविधान १९५० के अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिषेध रिट का मसौदा तैयार करें। 2. भारतीय संविधान १९५० के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मसौदा तैयार करें। 3. भारतीय संविधान १९५० के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका का मसौदा तैयार करें ।		
६)	1. विशिष्ट अनुपलान के वाद से आप क्या समझते है? । वादी को कुछ अचल संपत्ति बेचने के लिए अनुबंध के विशिष्ट अनुपलान के लिए एक मुकदमे में एक वाद और लिखित बयान का मसौदा तैयार करें।		
७)	1. गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के विधुत विभाग के विरोध सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के तहत नोटिस लिखिए। 2. पिछले अधिवक्ता की लापरवाही के कारण एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आदेश 9 नियम 13 के तहत शपथ पत्र के साथ एक आवेदन लिखें। 3. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 115 के तहत एक पुनरीक्षण आवेदन का मसौदा तैयार करें, इस हेतु कि अधीनस्थ न्यायालय विवादित संपत्ति से संबंधित सामग्री दस्तावेज की जांच करने में विफल रहा।		

क्र.सं.	विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	संबंधित शिक्षक का चिन्ह
	भाग-ब (आपराधिक विधि)		
८)	परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत २,००,००० की राशि के लिए आपराधिक शिकायत का मसौदा तैयार करें।		
९)	दो नाबालिग बेटियों के साथ पत्नी की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -125 का आवेदन लिखें।		
१0)	1. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 के तहत दर्ज आरोपी के लिए पहली जमानत याचिका का मसौदा लिखें। 2. आपराधिक प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन का मसौदा तैयार करें, इस आशंका पर कि उसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अपराध के अनुसरण में गिरफ्तार किया जा सकता है।		
११)	संपत्ति धोखाधड़ी में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156 (3) के तहत शिकायत लिखें।		
१२)	धारा 299/302 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत हत्या के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील लिखें।		
	भाग-स (अभिहस्तांतरण)		
१३)	1. अभिहस्तांतरण को परिभाषित करें 2. अभिहस्तांतरण के नियम के अनुसार एक विलेख में लिखने के लिए कौन- -सी सामग्री आवश्यक है?		
१४)	निम्नलिखित के एक विलेख का मसौदा तैयार करें: ❖ दान विलेख ❖ वसीयत विलेख ❖ अचल संपत्ति का विक्रय विलेख ❖ हिंदू विधवा द्वारा एक लड़के को गोद लेने का विलेख ❖ कानूनी फर्म विलेख ❖ किरायनामा विलेख ❖ बंधक विलेख ❖ सामान्य अधिकार पत्र ❖ विशेष अधिकार पत्र ❖ विक्रय हेतु करार (बयाना समझौता) ❖ किराया रसीद		

भाग-अ
(सिविल विधि)

भाग-ब
(आपराधिक विधि)

भाग-स
(अभिहस्तांतरण)